Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

शिवरतन पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी केऊ पुरानी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम मुलाराम वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 103/2023 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.07.2023	आज यह प्रार्थना पत्र शिवरतन ने जरिये श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। खेत खसरा नंबर 508 तादादी 11.55 हैक्टेयर रोही केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 508 तादादी 11.5500 हैक्टेयर वाकेरोही केऊ तहसील श्रीडूंगरगढ में उभयपक्षकारान आगामी तारीख पेशी तक मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 16.08.2023 को आकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 16.08.2023 को पेश हों । [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **श्रीडूंगरगढ**	
16.8.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता मोतीलाल नैण उपस्थित आये है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 व तलबी हेतु मुल्तवी दिनांक 18.9.2023 को पेश हो। [signature]	
18.9.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। [illegible] हेतु [illegible] समय दिया जाकर [illegible] वास्ते जवाब [illegible] 1 ता 7 व बहस [illegible] आईन्दा दि. 10.10.2023 [illegible] [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.12.11 10:57:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10.10.2013 पी.ए. वकील नहीं चाहता है Not Press करता हूँ शिवरतन पहचानकर्ता [signature]	प्रार्थी स्वयं पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता द्वारा मूल वाद नोट प्रेस किया जा चुका था प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बतौर नॉट प्रेस खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति वांछित कार्यवाही नियमानुसार से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.12.11 10:57:18 IST
Reason: SelfAttested